email_id : dcourtkhd-mp@nic.in
Phone No. : 0733-2921001

कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पूर्व निमाड़, खण्डवा (म0प्र0)

—:: विविध आदेश ::—

कमांकः 10/को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 11 जनवरी, 2021

विषय :— दिनांक 11.01.2021 से 15.01.2021 तक न्यायालयों में निरन्तर चलने वाली सुनवाई बाबत्।

संदर्भ :— माननीय उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर का परिपत्र कमांक ए/62 जबलपुर, दिनांक 09 जनवरी, 2021.

.....000.....

संदर्भित परिपत्र के अनुसार तथा पूर्व में इस कार्यालय से जारी विविध आदेश कमांक 65/को.वा. दिनांक 19 नवम्बर, 2000, कमांक 73/को.वा. दिनांक 04 दिसम्बर, 2020 एवं कमांक 75/को.वा. दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 के प्रकाश में जिला न्यायालय पूर्व निमाड़ खण्डवा एवं सिविल न्यायालय तहसील हरसूद, पुनासा, उप—तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) जिला खण्डवा में सभी न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, पक्षकारगण से अनिवार्यतः पालन की अपेक्षा करते हुए दिनांक 11.01.2021 से आगे भी दिनांक 15.01.2021 तक सीमित न्यायालयीन कार्य निम्नानुसार शर्तों के साथ भौतिक एवं आवश्यकतानुसार वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से निरन्तर रखे जाने हेतु आदेशित किया जाता है कि :—

(1) तहसील हरसूद, पुनासा, उप—तहसील मांधाता (ओंकारेश्वर) में कार्यरत् न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन ऐसे सभी प्रकरण की संख्या और कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए उन सुसंगत प्रकरणों के बारे में जैसा उक्त संदर्भित परिपत्र अनुसार सुनवाई के लिए निर्देश हैं, उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए वे ही प्रकरण नियत कर उनमें सुनवाई सुनिश्चित की जावेगी।

(2) जिला मुख्यालय, खण्डवा में कार्यरत् न्यायालयों के समक्ष विचाराधीन ऐसे सभी प्रकरण की संख्या और कार्य दिवसों को ध्यान में रखते हुए उन सुसंगत प्रकरणों के बारे में जैसा उक्त संदर्भित परिपत्र अनुसार सुनवाई के लिए निर्देश हैं, उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए वे ही प्रकरण नियत कर उनमें सुनवाई सुनिश्चित की जावेगी। तथापि अनावश्यक भीड़ न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जावेगा।

नोट :— प्रत्येक द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रशिक्षु न्यायाधीशगण)समुचित प्रशिक्षण की दृष्टि से प्रत्येक कार्य दिवस में सामान्यतया मामले सुनवाई हेतु सुविधा अनुसार नियत कर सकेंगे।

(3) प्रत्येक कार्य दिवस में निम्नानुसार मामलों की सुनवाई की जावेगी :—

(i) अपील (सिविल एवं दाण्डिक दोनों) और पुनरीक्षण याचिका (दाण्डिक), रिमाण्ड कार्यवाहियॉ, जमानत एवं सुपुर्दगी (अंतरिम अभिरक्षा) विषयक आवेदन पत्र।

(ii) विचाराधीन बंदियों के प्रत्येक मामलें ।

(iii) पॉच वर्ष से अधिक समय से लंबित **सिविल एवं दाण्डिक प्रकरण दोनों**।

(iv) मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में जमा क्षतिपूर्ति धन के भुगतान संबंधी प्रकरण।

(v) धारा 125 से 128 दं.प्र.सं. में वर्णित प्रकरण।

(vi) किशोर न्याय बोर्ड से संबंधित प्रकरण।

(vii) ऐसे प्रकरण जिनमें समझौता आवेदन पत्र पेश हुआ हो।

(viii) दत्तक ग्रहण संबंधी प्रकरण।

(ix) ऐसे प्रकरण, जिनमें (सिविल एवं दाण्डिक दोनों प्रकार के) माननीय सर्वोच्च न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय ने निर्धारित समयावधि में निराकृत का निर्देश दिया है।

(x) अन्य वे सभी अत्यावश्यक सुनवाई योग्य (सिविल एवं दाण्डिक दोनों प्रकार के) प्रकरण, जिनमें न्यायालय द्वारा यह पाया जाए कि इस प्रकरण में तात्कालिक सुनवाई किया जाना आवश्यक है।

(xi) सिविल मामलों में उत्तरवाद/उत्तर आदि प्राप्त और तत्पश्चात् वादप्रश्न विरचित किये जाने की कार्यवाही भी की जा सकेगी।

(xii) मोटर एक्सीडेंट क्लेम प्रकरण।

(4) उपरोक्त वर्णित सिविल प्रकरणों में पक्षकारगण शपथपत्र के माध्यम से मुख्य परीक्षा का कथन पेश करेंगे, ऐसे साक्षी का प्रतिपरीक्षण सिविल प्रकिया संहिता के सुसंगत प्रावधानों की परीधी में रहते हुए आयोग जारी करके, आयोग के माध्यम से पूर्ण किया जावेगा। न्यायालय के द्वारा यथोचित मामले में स्वयं के समक्ष भी साक्षी का प्रतिपरीक्षण पूर्ण किया जा सकेगा।

(5) घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अधीन उन मामलों में भी सुनवाई की जा सकती है, जिनमें कि तात्कालिक सुनवाई और अनुतोष आवश्यक है।

(6) न्यायालयीन अभिलेख की आदेश पत्रिका में पक्षकारों, गवाहों तथा अधिवक्तागण की उपस्थिति मात्र दर्ज की जावेगी अर्थात् आगामी निर्देश/आदेश होने तक उनके हस्ताक्षर लिये जाने की अनिवार्यता से छूट रहेगी।

(7) ऐसे न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अभिभाषकगण के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले प्रत्येक व्यक्ति जिन्हें कि क्वारंटाईन/आइसोलेट रहने के लिए निर्देश हैं; वे न्यायालय परिसर में प्रवेश हेतु प्रतिबंधित रहेंगे।

(8) न्यायालय परिसर में शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने वाले व्यक्तियों का प्रवेश सख्ती से प्रतिबंधित किया जावे और यदि कोई व्यक्ति ऐसे सेवन से युक्त पाया जावेगा, तो वह केन्द्र/राज्य सरकार के सुसंगत कानून/दिशा–निर्देशों के अनुसार अभियोजन/सजा हेतु उत्तरदायी रहेगा।

(9) न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले प्रत्येक न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण, अभिभाषकगण के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्ति फेस मास्क पहनेंगे या फेस को ढंककर रखेंगे। संबधित प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग और अभिभाषक संघ के अध्यक्ष/सचिव/समिति के सदस्य ऐसा किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

(10) न्यायालय परिसर में प्रवेश करने वाले न्यायाधीशगण, अधिवक्तागण, न्यायालयीन कर्मचारीगण परिसर के गेट क्रमांक–3 से तथा अभिभाषकगण के लिपिकवर्गीय कर्मचारी, पक्षकारगण, साक्षी की हैसियत से अथवा अभिलेख पेश करने हेतु उपस्थित होने वाले व्यक्ति गेट क्रमांक–1 से प्रवेश करेंगे। प्रवेश द्वार क्रमांक–1 पर न्यायालयीन कर्मचारी थर्मल स्कैनर, सेनेटाईजर से सुसज्जित रहेंगे। सभी न्यायालयीन कर्मचारी, अभिभाषकगण अपने–अपने स्थान पर कार्य प्रारंभ करने के पूर्व स्वयं भी संक्रमण से बचाव के उपाय द्वारा यह सुनिश्चित करेंगे कि उनसे किसी भी प्रकार का संक्रमण फैलने की संभावना नहीं है। आवश्यकतानुसार चिकित्सा विभाग के उपलब्ध/उपस्थित कर्मचारी भी केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपरोक्त सभी व्यक्तियों की यथोचित जांच सुनिश्चित करेंगे।

(11) बुखार और फ्लू या ऐसे ही लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति को न्यायालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं रहेगी। यदि उपरोक्त वर्णित व्यक्तियों में से कोई भी इस प्रकार के लक्षणयुक्त स्थिति में पाया अथवा आ जावें, तो वे तत्काल संबंधित अभिभाषक संघ, प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग को सूचित करेंगे।

(12) न्यायालय परिसर में मात्र ऐसे पक्षकारों और उनके अधिवक्तागण को प्रवेश करने की अनुमति रहेगी, जिनके कि प्रकरण सुनवाई हेतु अधिसूचित, सूचीबद्ध किये गये हैं और इनके प्रवेश हेतु प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग के द्वारा न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर आवश्यकतानुसार कर्मचारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

<u>नोट</u> :– न्यायालयीन कार्य से अन्यथा किसी भी कार्य के लिए अर्थात् अनुबंध–लेख, अंतरण विलेख, वसीयत या अन्य कोई भी दस्तावेजों के निष्पादन की कार्यवाही हेतु न्यायालय परिसर में किसी भी व्यक्ति, दस्तावेज लेखक का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।

(13) न्यायालय परिसर में स्थित रेस्टोरेंट, फोटोकॉपी की दुकानें पूर्णतया बंद रहेंगी, न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार के आस–पास भी ऐसे सब व्यावसायिक स्थल बन्द रखें जावेंगे। अभिभाषक संघ के कक्ष में भी अनावश्यक प्रवेश अभिभाषक संघ के अध्यक्ष, सचिव, कार्यकारिणी के द्वारा नियंत्रित किया जावेगा।

(14) न्यायालय परिसर में आवश्यकतानुसार सेनेटाईजेशन, स्वच्छता नगर पालिका निगम, जिला चिकित्सालय, खण्डवा की सहायता से सुनिश्चित किया जावे। मुख्य प्रवेश द्वार, शौचालय, भवन के गलियारों में आवश्यकतानुसर हेण्डवॉश, सेनेटाईजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे, जिससे कि किसी भी पक्षकार, व्यक्ति का न्यायालय कक्ष में प्रवेश नियंत्रित और संक्रमण रहित हो सकें।

(15) न्यायालय परिसर में उपस्थित न्यायाधीशगण, अभिभाषकगण, कर्मचारीगण, पक्षकार और अन्य हितग्राही आदि सभी निर्धारित सामाजिक दूरी बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(16) प्रत्येक न्यायालय में सुनवाई के वक्त वे ही अभिभाषकगण, पक्षकार और साक्षी संबंधित प्रकरणों की नस्ती व स्वयं के अभिलेख के साथ प्रवेश करेंगे, जिनके कि मामले में सुनवाई प्रारंभ/की जा रही है और ऐसे समय में अन्य सहयोगी अभिभाषकगण/पक्षकारगण/साक्षी न्यायालय कक्ष के बाहर निर्धारित स्थान पर निर्धारित सामाजिक दूरी रखते हुए अपनी बारी का इंतजार करेंगे। सुनवाई पूरी होते ही तत्काल ऐसे अभिभाषकगण, पक्षकार और साक्षी न्यायालय कक्ष से निर्गम करेंगे।

(17) न्यायालय परिसर में स्थापित डिस्प्ले बोर्ड, सूचना एवं सुविधा के लिए संचालित रखें जायेंगे।

(18) कोविड–19 के संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार, माननीय उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, खण्डवा द्वारा जारी समय–सयम पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों का पालन कठोरता से किया जावे।

(19) दिशा–निर्देश, आदेश पालन सुनिश्चित किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन अभिभाषक संघ, खण्डवा के अध्यक्ष और सचिव की सहमति से किया जाता है कि :–

(1) वरिष्ठ न्यायाधीश :– श्री पी.सी. आर्य, विशेष न्यायाधीश

(2) अभिभाषक संघ द्वारा नामित अभिभाषक :– श्री लखन मण्डलोई, अधिवक्ता

(3) जिला न्यायालय के कर्मचारी :– श्री एच.के. उत्तानी, प्रशासनिक अधिकारी

तहसील मुख्यालय हरसूद, पुनासा, मांधाता (ओंकारेश्वर) हेतु संदर्भित परिपत्र के पालन में ऐसी समिति का गठन ऐसे स्थान पर कार्यरत्/वरिष्ठ न्यायाधीश के द्वारा जिस प्रकार से किया गया है, उसी प्रकार से यथावत रहेगा।

संलग्न :– संदर्भित परिपत्र.

सही

(एल0डी0 बोरासी)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

पृष्ठां.क0 94 /को.वा./2020 खण्डवा, दिनांक 11 जनवरी, 2021

<u>प्रतिलिपि</u> :–

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
02. विशेष न्यायाधीश/परिवार न्यायालय/प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/षष्ठम् सिविल जज वर्ग–1, खण्डवा/हरसूद/पुनासा, प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ सिविल जज वर्ग–2, खण्डवा एवं समस्त प्रशिक्षु न्यायाधीशगण की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
03. समस्त अनुभाग प्रभारी, जिला न्यायालय खंडवा/सिविल न्यायालय तहसील हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
04. कलेक्टर, जिला खण्डवा,
05. पुलिस अधीक्षक, जिला खण्डवा,
06. अध्यक्ष, अभिभाषक संघ, खण्डवा/हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
07. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, खण्डवा,
08. आयुक्त, नगर पालिका निगम, खण्डवा,
09. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, खण्डवा,
10. लोक अभियोजक/शासकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, खण्डवा,
11. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, खण्डवा,
12. अधीक्षक, जिला जेल, खण्डवा,
13. प्रशासनिक/उप–प्रशासनिक अधिकारी/समस्त कर्मचारीगण जिला न्यायालय खण्डवा/सिविल न्यायालय हरसूद/पुनासा/मांधाता (ओंकारेश्वर),
14. प्रस्तुतकार, जिला न्यायालय, खण्डवा,

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित।

संलग्न :– संदर्भित परिपत्र।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पूर्व निमाड़, खंडवा (म0प्र0)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

// CIRCULAR //

No. A/62 /

Jabalpur dated 09/01/2021

In continuation of earlier circular(s)/direction(s) issued by the High Court from time to time, Hon'ble the Chief Justice of the High Court of M.P. having taken into consideration all the prevailing factors, has been pleased to issue directions regarding functioning of the Subordinate Courts as follows:-

In continuation of Circular No.A/3120 dated 11.12.2020, the regular limited physical functioning for the **Subordinate Courts** is hereby extended from **11th January, 2021 till 15th January, 2021**, as per Circular No. D/2377 dated 27.06.2020, Circular No.Q-12 dated 4th May 2020, Circular No. B/2655 dated 24.07.2020 and other relevant guidelines/directions issued by the High Court.

By order of Hon'ble the Chief Justice

09.1.21

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL